कार्यालय जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, खूँटी।

DSR (Stone and Earth Bricks) तैयार करने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, खूँटी के कार्य क्षेत्र अन्तर्गत कुल 6 प्रखण्डो (खूँटी, तोरपा, रनिया, कर्रा, मुरहू एवं अडकी) हेतु लघु खनिजो (पत्थर एवं ईट) के सन्दर्भ मे जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन (DSR- Stone and Earth Bricks) तैयार करने हेतु सक्षम संस्थान/एजेसी जो निम्नाकित प्रकार के कार्य का अनुभव रखते हों, वे दिनांक 28.04.18 के अपराह्न 5:00 बजे तक अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण, खूँटी के कार्यालय में दर दर्शाते हुए सभी कागजातो के साथ आवेदन जमा कर सकते हैं। इच्छा की अभिव्यक्ति प्रकट करने वाले व्यक्ति/एजेसी स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

कार्य की विवरणी :–

1. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 141(अ) दिनांक 16.01.2016 के निर्देश एवं प्रचलित मापदण्डों के अनुसार जिले के कुल 6 प्रखण्ड, यथा खूँटी, तोरपा, रनिया, कर्रा, मुरहू एव अडकी अन्तर्गत उपलब्ध खनन क्षेत्र, खनन कार्य हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का प्रखण्डवार Geo reference Block तैयार करना, खनन हेतु वर्णित क्षेत्र का विवरण देते हुए प्रत्येक लघु खनिज (पत्थर एव ईट) के लिए क्षेत्रीय आकलन तैयार कर DEIAA, खूँटी को प्रस्तुत करना।
2. कोई सुझाव आने पर उसमे आवश्यकता अनुसार संशोधन कर Final DSR तैयार कर प्रस्तुत करना।

तकनीकी अहर्ता :–

(क) इच्छा की अभिव्यक्ति में भाग लेनेवाले संस्थान/एजेंसी को Mining, Geology एवं Surveying के क्षेत्र में 05 (पाँच) वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

(ख) व्यक्तिगत Consultant जिन्हें 05 (पाँच) वर्षो का उपरोक्त अनुभव हो वे भी आवेदन कर सकते हैं।

(ग) इच्छा की अभिव्यक्ति में भाग लेनेवाले संस्थान/एजेंसी को झारखण्ड या किसी अन्य राज्य में जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का अनुभव हो।

इच्छा की अभिव्यक्ति की शर्तें :–

(1) इच्छा की अभिव्यक्ति दो भागों में यथा– तकनिकी एवं वित्तीय भाग मे अलग–अलग लिफाफे मे होना चाहिए।

(2) तकनिकी इच्छा की अभिव्यक्ति के साथ आयकर/सेवाकर में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अनुभव प्रमाण–पत्र आदि संलग्न करना होगा।

(3) इच्छा की अभिव्यक्ति के वित्तीय भाग के साथ 5,000.00 रूपया का बैंक ड्राफ्ट Member Seretary, DEIAA, Khunti के नाम Payble जमा करना अनिवार्य होगा।

(4) इच्छा की अभिव्यक्ति दाता को संबंधित कार्य में आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के आँकड़े संबंधित विभाग को स्वंय प्राप्त करना होगा।

(5) DSR आवंटन की तिथि से एक (01) माह के अन्दर DEIAA, खूँटी को DSR प्रस्तुत करना होगा।

(6) बिना कोई कारण बताये इच्छा की अभिव्यक्ति को संशोधित/स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, DEIAA, खूँटी को सुरक्षित होगा।

(7) इस इच्छा की अभिव्यक्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के वैधानिक मामले की सुनवाई खूँटी जिला व्यवहार न्यायालय मे ही मान्य होगा।

(8) इस इच्छा की अभिव्यक्ति को NIC, खूँटी के website :– www.khunti.nic.in, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड के website :– www.jharkhandminerals.gov.in तथा उपायुक्त के कार्यालय, खूँटी/अनुमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय, खूँटी/जिला खनन पदाधिकारी, खूँटी के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी
–सह–
सदस्य सचिव,
DEIAA, खूँटी।

उपायुक्त
–सह–
अध्यक्ष,
DEIAA, खूँटी।